web copy

न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चूरू
पीठासीन अधिकारीः राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या– 2018/00042 दायर दिनांक 25.05.2018

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू — सायल

बनाम

मनफूल कुलडिया पुत्र पाबुराम कुलडिया,मैसर्स–कुलडिया मावा भण्डार लाडनू बस स्टेण्ड के पास सुजानगढ, जिला चूरू स्थाई पता–ग्राम अणखीसर पोस्ट हिमटसर तह0 नोखा जिला बीकानेर। — गैरसायल

परिवाद जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (।।)/51 एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रुल्स 2011

उपस्थितः– 1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी वास्ते पैरोकार राज।
2. श्री नरेन्द्र सिहाग, श्री संजय सिहाग एडवोकेट्स वास्ते गैरसायल

दिनांक 24.08.2018

निर्णय

यह परिवाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरु से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार निम्नानुसार है :–

1. यह कि मै नागर मल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संम्पादन कर रहा हूं। और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन दिनांक 09.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें आदेश दिनांक 17.11.2011 के अनुसार मुझें कार्य क्षेत्र जिला चूरू में आने वाले समस्त स्थानिय क्षेत्र में आते है अधिसूचना एवं आदेश की सभी प्रतियां न्यानिर्णयन के आवेदन के साथ संलग्न है।
2. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.02.2018 को 11:30 ए.एम. पर मैसर्स कुलडिया मावा भण्डार लाडनू बस स्टेण्ड के पास सुजानगढ पर पहुचा। वहां पर मनफूल कुलडिया अपनी दुकान में एक टिन के पिपे में लगभग 10 किलो ग्राम मावा का पेडा बेचने हेतु पाया गया। मैने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया श्री मनफूल कुलडिया से पुछने पर बताया कि मावा एवं मावा का पेडा बनाकर ग्राहको को बेचने का कार्य करता हूं।
3. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए कि प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री मनफूल कुलडिया को देकर रसीद प्राप्त की फार्म नम्बर 5ए की रिपोर्ट न्यायनिर्णयान आवेदन के साथ संलग्न है।
4. मावा का पेडा में मिलावट का शक होने पर उसमें से 2 किलोग्राम मावा का पेडा एक साफ सुथरी प्लास्टि की बोतलों में वास्ते जांच नमूना खरीद किया। जिसकी कीमत विक्रेता श्री मनफूल कुलडिया को 560/–रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाह श्री चुन्नीलाल के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं।
5. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मावा का पेडा को विक्रेता एवं गवाह को चार खाली साफ सुखी प्लास्टिक कि शीशीयां दिखाकर उक्त खरीदशुदा मावा का पेडा को प्रत्येक शीशी में बराबर बराबर मात्रा में डालकर शीशीयों में परिरक्षक फोर्मलीन की 40–40 बूंदे डालकर शीशीयों को ढकन्न लगाकर ऐयरटाईड बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूनें की शीशीयों पर चिपकाये और लेबल पर डी ओ के कोड एवं क्रमांक एल–1800 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्लीप संख्या नमूना लेने वाले का नाम दिनांक स्थान व खाद्य पदार्थ की किस्म एवं परिरक्षक का नाम व मात्रा अकित की लेबल

अति. जिला कलक्टर
एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट
चूरू

web copy

पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये चारो नमूनों के भागों को अलग अलग खाखी कागज मे लपेट कर दोनो सीराओं को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी ओ जिला चूरू की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर एल–1800 नियमानुसार चारों नमूनों बोतलों पर राउण्ड टू बोटम गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूनें के भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूने क भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसर इस प्रकार करवाये पेपर स्लीप व रेपर दोनों पर आवें एवं खाखी पेपर पर गवाह के हस्ताक्षर करावें। चारों नमूनों के भागों पर नमूना संख्या, नमूना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ की किस्म परिरक्षक की मात्रा अंकित कि गई एवं मैंने हस्ताक्षर कर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता और गवाह को पढा सुनाकर हस्ताक्षर करवायें एवं चारों नमूनों के भागों को अपने कब्जे में लिया।

6. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पर पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार कर पुनः नमूनों के भागों को आउटर कवर में मय फार्म नम्बर 6 की प्रति रखकर पुनः नमूना पैक किया एवं धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी लगाकर सील बन्द किया। एवं नमूने के एक भाग पर मुख्य विषलेशक राज्य, केन्द्रीय प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर का पता लिखकर नमूना संख्या एवं दिनांक डालकर एवं मेरे हस्ताक्षर कर राज्य केन्द्रीय प्रयोगशाला जयपुर में भिजवाया साथ में एक सील बन्द लिफाफें मे फार्म नम्बर 6 की 02 प्रतियां सील मोहर कर सील बन्द लिफाफे में अलग से भिजवाया। नमूना जमा कराने की रसीद एवं फार्म नम्बर 6 की प्रतियां जमा कराने रसीद न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना दो प्रतियों के आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर तथा नमूनो का चौथा भाग अलग से आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर डी ओ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

7. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को. डी ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पत्र अग्रेषण क्रमांक–85 दिनांक 09.04.2018 प्राप्त हुआ। जिसके साथ खाद्य विषलेशक राज्य, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर की रिपोर्ट संख्या एल.एस./499/एक्ट/2018/593 दिनांक 27.03.2018 प्राप्त हुई जिसमें विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खादय पदार्थ सेक्शन 3(1)(ZX) के अनुसार मावा का पेडा सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

8. श्रीमान् अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/168 दिनांक 18.05.2018 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्यायनिर्णय आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया।

9. यह कि उक्त प्रकरण में मनफूल कुलडिया ने सबस्टैण्डर्ड मावा का पेडा का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल की ओर से दिनांक 24.08.2018 को अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिहाग, संजय सिहाग एडवोकेट्स ने वकालतनामा पेश किया और परिवाद का आरोप स्वीकार करने का प्रार्थना पत्र भी पेश किया।

उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतनगढ ने बहस में कहा कि खाद्य पदार्थ मावा का पेड़ा का सेम्पल नं. एल–1800 FOOD रिपोर्ट संख्या एल.एस./499/एक्ट/2018/593 दिनांक 27.03.2018 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड पाया गया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन हुआ है। खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 में उल्लेखित शास्ति से गैरसायल को दण्डित किया जावें।

web copy

गैरसायल के योग्य अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थना पत्र दिनांकित 24.08.2018 में अंकित कथनों को दोहराते हुए कहा कि गैरसायल निर्दोष है। अज्ञानतावश यह कृत्य हुआ है, जानबुझकर नहीं। वह भविष्य में इस प्रकार के अपराध को पुनरावृत्ति नहीं होगी। गैरसायल उक्त प्रकरण का निस्तारण इसी स्तर पर करवाना चाहता है। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से स्वेच्छया जुर्म स्वीकार करता है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतनगढ व गैरसायल के योग्य अधिवक्ता की बहस को सुना गया। परिवाद पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया। चूंकि गैरसायल द्वारा बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ मावा का पेड़ा की रिपोर्ट संख्या एल.एस./499/एक्ट/2018/593 दिनांक 27.03.2018 से सबस्टैण्डर्ड (Under Section 3(1)(zx)of FSS Act, 2006) होना पाया गया है। गैरसायल के द्वारा परिवाद में अंकित आरोप को स्वीकार किये जाने के कारण उक्त परिवाद में अंकित तथ्य की पुष्टि भी होती है। इस प्रकार गैरसायल के द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय का कारोबार करना परिवाद से साबित है। इस प्रकार Report of Food Analyst Date 27-03-2018 के अनुसार मावा का पेड़ा मानव/उपभोक्ता हेतु उपयोग एवं उपभोग के लिये सुरक्षित नहीं है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में गैरसायल को सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ मावा का पेड़ा बेचने के कारण एंव उक्त कृत्य प्रथम बार होने के कारण सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत गैरसायल मनफूल कुलडिया पुत्र पाबुराम कुलडिया,मैसर्स–कुलडिया मावा भण्डार लाडनू बस स्टेण्ड के पास सुजानगढ, जिला चूरू स्थाई पता–ग्राम अणखीसर पोस्ट हिमटसर तह0 नोखा जिला बीकानेर को 10,000/– रूपये (दस हजार रूपये) की शास्ति अधिरोपित की जाती है तथा गैरसायल को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में पुनः खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन नहीं करें। गैरसायल उक्त राशि 15 दिवस के अन्दर अन्दर जरिये चालान बैंक में राज्य सरकार के बजट हैड–0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियाँ, (03)– खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा कराकर चालान की प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी को देवे अन्यथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि गैरसायल द्वारा शास्ति राशि जमा नहीं करवाये जाने पर गैरसायल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
चूरु